क्रम-संख्या—225

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 29 नवम्बर, 2021

अग्रहायण 8, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग—2

संख्या 10 / 2021 / 1157 / 94-स्टा0नि0-2—2021-700(31)—2021

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-390

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्थित तहसील सरोजिनी नगर जिला लखनऊ की चिन्हित 80 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में डी0आर0डी0ओ0 ब्रम्होस के पक्ष में निष्पादित, हस्तान्तरण विलेख / पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क मे छूट प्रदान करती हैं।

2—यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी—

क—उक्त इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

ख—जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 10 /2021/1157/XCIV-S. R.-2–2021-700(31)-2021, dated November 29, 2021:

No. 10/2021/1157/ XCIV-S. R.-2–2021-700(31)-2021

Dated Lucknow, November 29, 2021

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to Uttar Pradesh, *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor from the date of publication of this notification, in the *Gazette*, is pleased to remit the stamp duty payable on the conveyance deed/lease deed executed in favour of D.R.D.O. Brahmos, relating to the identified 80 hectare land of Tehsil Sarojini Nagar, district Lucknow located in Lucknow node of Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

a. The Unit shall not be provided with other remittance or facility under any other policy of the state Government.

b. The District Magistrate of the district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above.

By order,

VEENA KUMARI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 435 राजपत्र–2021–(975)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 9 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–2021–(976)–100+50=150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

435 RPH (Stamp and Registration-2) -2021- Data 4e